न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 24/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00074

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.देवाराम पुत्र मोड़ाराम 2.भीमाराम पुत्र पुरखाराम 3.गुलाराम पुत्र लिखमाराम 4.नैनाराम पुत्र पदमाराम 5.सुजाराम पुत्र पदमाराम 6.फुली बेवा पदमाराम जाति जाट निवासी भगाणियो की ढाणी,आसराबा तहसली पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा		1.करनाराम पुत्र चिमनाराम 2.श्रवणराम पुत्र उदाराम 3.लूणीदेवी बेवा उदाराम 4.बुधाराम पुत्र मोतीराम 5.फताराम पुत्र खेराजराम 6.हनुमानराम पुत्र खेराजराम 7.जयपालराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी भगाणियो की ढाणी,आसराबा तहसली पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 8.गीता पत्नि लिखमाराम जाति जाट निवासी उतेसर तहसील लूणी जिला जोधपुर 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री चेलाराम कुमावत व जुंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3
3. विप्रार्थी संख्या 4 से 9 अनुपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 25/07/25

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगाणियो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की मूल खसरा संख्या 09 रकबा 65.06 बीघा,खसरा संख्या 33 रकबा 70.08 बीघा,खसरा संख्या 112 रकबा 250.02 बीघा,खसरा संख्या 33/1 रकबा 45.11 बीघा,खसरा संख्या 31 रकबा 00.05 बिस्वा व खसरा संख्या 32 रकबा 12 बिस्वा भूमि पुरखा,मोती व चिमना पिसरान भोमा की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी। उक्त खातेदारान द्वारा सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाया गया। जिसके अनुसार खसरा संख्या 47,09,33,33/1 व 112 कुल रकबा 162.08 बीघा भूमि पुरखा वल्द भोमा की खातेदारी मे दर्ज हुए। खसरा संख्या 47,09,33,33/1 व 112 कुल रकबा 162.10 बीघा भूमि मोती पुत्र भोमा जाट के खाते मे दर्ज हुए। इसी प्रकार खसरा संख्या 47,9,33,33/1,112,31 व 32 कुल रकबा 163.07 बीघा भूमि चिमना पुत्र भोमा की खातेदारी में दर्ज हुए। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण खोला जाकर खाते पृथक पृथक कायम हुए। चिमानाराम द्वारा सन 1983 में अपनी खातेदारी भूमि मे से 04 बीघा भूमि विद्यालय,कुए इत्यादि में दी गई,इस प्रकार उसके हिस्से रकबा 83.07 बीघा मे 4 बीघा कम करते हुए चिमनाराम व उसके वारिसान के नाम खसरा संख्या पुराने 112/3 नया खसरा संख्या 155/112 रकबा 79.07 बीघा दर्ज हुआ। कि तारीख 09.2.1983 से पूर्व उपरोक्त खसरो की तरमीम नक्शा लटढा ट्रेस मे नही की गयी थी,लेकिन चिमनाराम के वारिसान उदाराम व करनाराम होशियार व चालक होने के कारण तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए नक्शा लटढा में छेड़ छाड़ करवा कर अपनी खातेदारी खसरा संख्या 112/3 फिर 112/2 व बाद में खसरा संख्या 112/1 अंकित करवा दिए गए। इस प्रकार विप्रार्थी द्वारा बिना विधिक आदेश के विवादित आराजी में मौके से विपरीत जाकर तरमीम करवा दी गई। जिसके कारण रेकर्ड एवं मौका स्थिति में एकरूपता नही है। गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति हो रही है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 115/112,154/112,153/112,132/33,134/33 व 135/33 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर परिशिष्ट अ अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। श्री जेठूलाल कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 3 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया तथा प्रार्थीगण के आवेदन को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें। विप्रार्थी संख्या 4,5 व 7,8 की ओर से जरिए अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता को छोड़ते हुए शेष विप्रार्थी अनुपस्थित रहे। विवादित आराजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई थी,जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम भगाणियो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की मूल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 09 रकबा 65.06 बीधा,खसरा संख्या 33 रकबा 70.08 बीधा,खसरा संख्या 112 रकबा 250.02 बीधा,खसरा संख्या 33/1 रकबा 45.11 बीधा,खसरा संख्या 31 रकबा 00.05 बिस्वा व खसरा संख्या 32 रकबा 12 बिस्वा भुमि पुरखा,मोती व चिमना पिसरान भोमा की संयुक्त खातेदारी मे अवस्थित थी। उक्त खातेदारान द्वारा सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाया गया। जिसके अनुसार खसरा संख्या 47,09,33,33/1 व 112 कुल रकबा 162.08 बीधा भूमि पुरखा वल्द भोमा की खातेदारी मे दर्ज हुए। खसरा संख्या 47,09,33,33/1 व 112 कुल रकबा 162.10 बीधा भूमि मोती पुत्र भोमा जाट के खाते मे दर्ज हुए। इसी प्रकार खसरा संख्या 47,9,33,33/1,112,31 व 32 कुल रकबा 163.07 बीधा भूमि चिमना पुत्र भोमा की खातेदारी मे दर्ज हुए। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण खोला जाकर खाते पृथक पृथक कायम हुए। चिमानाराम द्वारा सन 1983 मे अपनी खातेदारी भूमि मे से 04 बीधा भूमि विधालय,कुए इत्यादि मे दी गई,इस प्रकार उसके हिस्से रकबा 83.07 बीधा मे 4 बीधा कम करते हुए चिमनाराम व उसके वारिसान के नाम खसरा संख्या पुराने 112/3 नया खसरा संख्या 155/112 रकबा 79.07 बीधा दर्ज हुआ। कि तारीख 09.2.1983 से पूर्व उपरोक्त खसरो की तरमीम नक्शा लटढा ट्रेस मे नही की गयी थी,लेकिन चिमनाराम के वारिसान उदाराम व करनाराम होशियार व चालक होने के कारण तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए नक्शा लटढा में छेड़ छाड़ करवा कर अपनी खातेदारी खसरा संख्या 112/3 फिर 112/2 व बाद में खसरा संख्या 112/1 अंकित करवाकर सड़क से लगते हुए बताए गए,जबकि मौके पर उनकी स्थिति रेकर्ड के विपरीत है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वक्त बंटवाड़ा खसरान का विभाजन नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार किया गया था,इसी अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा गलत तरमीम किए जाने के कारण चिमनाराम व उसके वारिसान को सड़क से लगती पूरी भूमि दी गई,जबकि सड़क पर सभी पक्षकारान को एक समान भूमि दी गई है। खसरा संख्या 47 व 9 की तरमीम बंटवाड़ा अनुसार दर्ज की गई है,जिस कारण उक्त खसरान के संबध में कोई विवाद नही है। अंत मे निवेदन किया कि विवादित आराजी के खसरा संख्या 115/112,154/112,153/112,132/33,134/33 व 135/33 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर परिशिष्ट अ नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विवादित भूमि का पक्षकारान के हकपूर्वाधिकारी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार साहब के समक्ष सहमति बंटवाड़ा वर्ष 1973 में करवा दिया गया था तथा पक्षकारान को वक्त बंटवाड़ा अनुसार आदिनांक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सहमति बंटवाड़ा की आपति होने पर उसकी अपील श्री न्यायालय मे नही की जा सकती है,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज चिमनाराम द्वारा अपनी खातेदारी खसरा संख्या 113/3 रकबा 83.07 बीधा भुमि मे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

से 04 बीघा भूमि विद्यालय,कुए,टांका के लिए समर्पण की गई थी,जिसके खसरा संख्या 112/4 कायम हुए तथा शेष भूमि रकबा 79.07 बीघा के खसरा संख्या 112/3 दर्ज हुए थे। इस कारण विप्रार्थी की भूमि सड़क से लगती हुए होने के कारण सही तरमीम दर्ज हुई थी और आदिनांक भी उसीनुसार मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा केवलमात्र विप्रार्थी की भूमि को हड़प करने की नियत से ही आवेदन पत्र पेश किया गया है,क्योकि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा अपनी सहमति के आधार पर ही विवादित आराजी का बंटवाड़ा करवाया गया था तथा पक्षकारान ही उसीनुसार मौके पर काबिज है। अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5. विप्रार्थी संख्या 4,5 व 7,8 द्वारा जरिए अधिवक्ता इकलाबी जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो आपति नही है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि पक्षकारान की ओर से विवादित आराजी का आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा वर्ष 1973 मे किया गया था। उक्त सहमति बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 31 पारित हुआ था,लेकिन उक्त बंटवाड़ा के आधार पर पारित नामान्तकरण संख्या 31 की पुश्त पर तरमीम अक्ष अंकित नही है। जबकि हल्का पटवारी आसराबा द्वारा सत्यापित प्रति सहमति बंटवाड़ा एग्रीमेट प्रति अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त सहमति बंटवाड़ा में विभाजित खसरान के रकबा,हिस्सा के साथ सेढा पड़ौस भी खुले हुए है अर्थात खसरान के सेढा पड़ौसी की लगती भूमि की दिशा का भी अंकन हो रखा है। इस प्रकार न्यायालय हाजा का मानना है कि सहमति बंटवाड़ा के अनुरूप तरमीम दर्ज की जानी चाहिए थी। जबकि विवादित भूमि के तत्कालीन खातेदार चिमनाराम पुत्र भोमाराम द्वारा खसरा संख्या 113/3 मे से 4 बीघा भूमि का सर्मपण स्कूल इत्यादि में किए जाने पर नामान्तकरण संख्या 43 की पुश्त पर सड़क से लगती भूमि खसरा संख्या 112/1 तरमीम अक्ष अंकित कर दी गई,और उक्त के आधार पर तरमीम रिकॉर्ड में कायम की गई,जो कि विधिक प्रक्रिया के तहत नही की गई है। ऐसी अवैध तरमीम को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम सहमति बंटवाड़ा ऐग्रीमेट से विपरीत की गई है,जो कि पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। इसके उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रकरण में पक्षकारान की मौका कब्जा काश्त स्थिति एवं सहमति बंटवाड़ा के आधार पर पक्षकारान को सुना जाकर दुबारा तरमीम अंकन करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–भगाणियो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 155/112,154/112 व 153/112 एवं खसरा संख्या 132/33,134/33 व 135/33 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवादित आराजी का पूर्व मे सहमति बंटवाड़ा वर्ष 1973 एवं मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी का नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार) 25/07/25
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/07/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 25/07/25
बालोतरा